छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण कमांक 700/2007*</u>

1. **श्री बी0के0 तिवारी,** - *अपीलार्थी*
सहायक ग्रेड-3,
डी-3, शंकर नगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय रेशम संचालनालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 25 फरवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री तिवारी ने जन सूचना अधिकारी, कार्यालय रेशम संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 29.03.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर जन सूचना अधिकारी ने जो जानकारी प्रदान की उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 07.05.2007 को अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उनके द्वारा भी संतोषप्रद कार्यवाही नही किये जाने के कारण असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 17.07.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के लिए जन सूचना अधिकारी तथा अवर सचिव, छ0ग0 शासन, ग्रामोद्योग विभाग को पांच हजार रूपये प्रत्येक को शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 05.12.2007 को प्रस्तुत कियाा गया । प्रकरण में समस्त जानकारी पूर्ण रूप से प्रदान करा दी गई है, किन्तु केवल जन सूचना अधिकारी और अवर सचिव, ग्रामोद्योग विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को नस्ती भेजने संबंधी जानकारी त्रुटिपूर्ण प्रदान करने के कारण ही अपीलार्थी असंतुष्ट है और उसी कारण उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में यह बताया गया है कि जो नस्ती सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई थी, वह चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित क्रमोन्नति लाभ के संबंध में है न कि श्री बी0के0 तिवारी के संबंध में है तथा उनके द्वारा जो जानकारी प्रदान की गई है, वह भ्रामक नही थी और वह सही जानकारी थी तथा

उनके द्वारा कोई त्रुटि नही की गई है । चूंकि इस प्रकरण में काफी विस्तृत जानकारी पूर्व में ही समय पर दे दी गई है और केवल एक बिन्दु पर अपीलार्थी को आपत्ति है, उसके संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर दिया गया है, वह अपने स्थान पर संतोषप्रद प्रतीत होता है, उसमें जन सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव की किसी भी प्रकार की दुर्भावना प्रतीत नही होती है, अतः इस आधार पर उनके विरूद्ध शास्ति की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । जहॉं तक आवेदक की क्रमोन्नति के प्रकरण का प्रश्न है, इस संबंध में आयोग के क्षेत्राधिकार का विषय नही है, वह विभाग द्वारा नियमानुसार समय पर कार्यवाही की जावेगी ।

3/ अतः उक्त अपील निरस्त की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त